न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 91/2021 बउनवानी नारायण कोली बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर पुत्र श्री गोकुल कोली निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना चौड

GCMS No-2021/278

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. ख0न0 805 ग्राम करेल तहसील मलारना डूँगर मे केलाश मीना पुत्र श्री रामफूल मीना के पुराने मकान से मैन रोड़ के उत्तर की और(अडगेंला) तक सिवायचक भूमि कितनी बीघा प्रमाणित सूचना दी जावे।
2. ख0न0 805 ग्राम करेल मे श्री केलाश चन्द्र मीना पुत्र श्री रामफूल मीना के पुराने मकान से मैन रोड़ उत्तर की ओर अडगेला तक सिवायचक भूमि पर क्रमश किन–किन व्यक्तियो का कितने–कितने समय से कब्जा है उन सभी का नाम पिता का नाम जाति सहित तथा नाम सहित स्थान चिन्हित की भी सूचना दी जावे।
3. ख0न0 805 ग्राम करेल मे सिवायचक भूमि पर कब्जा करने वाले क्रमश सभी अतिक्रमियो के कब्जे कब तक हटायेगें जिसकी सूचना और सिवायचक भूमि कितनी बीघा है उसके नक्शा ट्रेस सहित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
4. ख0न0 805 मे हमारे पूर्वजो का कोली समाज का 50–60 वर्षो से सार्वजनिक कुआ खेल गुनी है इसके भी नक्शा ट्रेस सहित समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी ए तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का.अ./21/376 दिनांक 9.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना हेतु शुल्क जमा करवाने हेतु तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 5145 दिनांक 13.9.2021 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया तथा शेष बिन्दु संख्या 4 के संबंध में ग्राम [illegible] ख0न0 805 सहित अन्य ख0न0 का नक्शा ट्रेस जमबन्दी इत्यादि तैयार कर शुल्क जमा [illegible] अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 5145 दिनांक 13.9.2021 से लिखा जा चुका है। [illegible] शुल्क जमा नही करवाया है तो अब नियमानुसार शुल्क जमा क[illegible]की सूचना प्राप्त कर [illegible] शेष बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कार[illegible] दिया जाना आवश्यक [illegible] उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:25 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर